पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 70

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		3776.35	0.47	3776.82	5170.00	0.71	5170.71	5170.00	0.60	5170.60	5250.00	0.65	5250.65
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**3776.35**	**0.47**	**3776.82**	**5170.00**	**0.71**	**5170.71**	**5170.00**	**0.60**	**5170.60**	**5250.00**	**0.65**	**5250.65**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	10.83	0.47	11.30	15.00	0.71	15.71	15.00	0.60	15.60	16.00	0.65	16.65
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
2. पंचायत सशक्तिकरण और जबावदेहिता प्रोत्साहन योजना	2515	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	27.90	...	27.90
3. मीडिया और प्रचार	2515	8.55	...	8.55	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20	13.50	...	13.50
4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान	2515	2.39	...	2.39	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70
5. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	2515	1.61	...	1.61	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70
6. ग्रामीण व्यापार केंद्र	2515	1.64	...	1.64	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	2.70	...	2.70
केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें													
7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना													
7.01 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	2515	39.28	...	39.28	34.00	...	34.00	34.00	...	34.00	52.50	...	52.50
7.02 अवसंरचना विकास	2515	4.94	...	4.94	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	21.00	...	21.00
जोड़- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना		*44.22*	...	*44.22*	*43.00*	...	*43.00*	*43.00*	...	*43.00*	*73.50*	...	*73.50*
8. ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	2515	22.07	...	22.07	21.60	...	21.60	21.60	...	21.60	36.00	...	36.00
जोड़-केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें		**66.29**	**...**	**66.29**	**64.60**	**...**	**64.60**	**64.60**	**...**	**64.60**	**109.50**	**...**	**109.50**
9. यूएन एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत विदेशी सहायता आगे देना	2515	5.00	...	5.00	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90
10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-अंशदान	2515	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**95.53**	**...**	**95.53**	**93.00**	**...**	**93.00**	**93.00**	**...**	**93.00**	**164.00**	**...**	**164.00**
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00
राज्य योजनागत स्कीमें													
12. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	3601	3669.99	...	3669.99	5050.00	...	5050.00	5050.00	...	5050.00	5050.00	...	5050.00
कुल जोड़		***3776.35***	***0.47***	***3776.82***	***5170.00***	***0.71***	***5170.71***	***5170.00***	***0.60***	***5170.60***	***5250.00***	***0.65***	***5250.65***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	10.83	...	10.83	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	16.00	...	16.00
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	95.53	...	95.53	93.00	...	93.00	93.00	...	93.00	164.00	...	164.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	20.00	...	20.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**106.36**	**...**	**106.36**	**120.00**	**...**	**120.00**	**120.00**	**...**	**120.00**	**200.00**	**...**	**200.00**
राज्य योजना:													
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) राज्य हिस्सा	43601	3669.99	...	3669.99	5050.00	...	5050.00	5050.00	...	5050.00	5050.00	...	5050.00
जोड़ - राज्य योजना		**3669.99**	**...**	**3669.99**	**5050.00**	**...**	**5050.00**	**5050.00**	**...**	**5050.00**	**5050.00**	**...**	**5050.00**
जोड़		**3776.35**	**...**	**3776.35**	**5170.00**	**...**	**5170.00**	**5170.00**	**...**	**5170.00**	**5250.00**	**...**	**5250.00**

1. पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेहिता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य प्रोत्साहनों की एक ऐसी सुविचारित प्रणाली उपलब्ध कराना है जिससे पंचायतों को और अधिक कार्य, कर्मी और कोष अंतरित किए जाने के लिए राज्यों को सहायता देने और प्रोत्साहित करने के वास्ते भारत सरकार के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध हो सके।

3. मीडिया और प्रचार का उद्देश्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना और जनसामान्य में श्रव्य और दृश्य तथा प्रिण्ट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई) के बारे में जागरूकता लाना है।

4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान चलाया जा रहा है ताकि पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिलाओं और युवा प्रतिनिधियों को संगठित किया जा सके जिससे कि पंचायती राज में विकेन्द्रीकृत अभिशासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी आवाज़, द्रष्यता और कार्य निष्पादन मज़बूत हो और वे सामूहिक कार्य करने हेतु एसोसिएशनें/नेटवर्क बना सकें।

5. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन: मुख्यतया बेहतर नीति निर्माण हेतु एक साधन के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं पर कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए उन शैक्षणिक संस्थाओं/एन जी ओ, अनुसंधान संगठनों, सोसायटियों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके पास ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन करने का अनुभव है।

6. ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आर बी एच) : इस योजना का उद्धेश्य "हाट से हाइपरमार्किट" है जिससे कि मात्र आजीविका ही उपलब्ध नहीं हो अपितु ग्रामीण संपन्नता, ग्रामीण खेत इतर आय और ग्रामीण रोज़गार में भी वृद्धि हो सके। पंचायती राज संस्थानों के सहयोग से स्थापित किये गए ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र "समावेशी विकास" का आलंब बन सकते हैं जो कि XI वीं योजना का केन्द्रीय विचार है।

http://indiabudget.nic.in

7. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

7.01. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों की क्षमता में सुधार लाने तथा पंचायतों को आवश्यक प्रशासनिक एवं अवसंरचना सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान है जिससे कि वे सौंपी गई स्कीमों के कार्यान्वयन एवं कार्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकें।

7.02. अवसंरचना विकास : पंचायत घरों के निर्माण एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना का सृजन करने हेतु प्रावधान है।

8. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना: राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्यक्रम (एन ई जी पी) के अधीन एक स्कीम जिसमें पंचायती राज संस्थानों में ई-अभिशासन को मिशन मोड परियोजना के रूप में चुना गया है।

9. संयुक्त राष्ट्रसमर्थित परियोजना: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है।

10. स्थानीय अभिशासन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान देने हेतु प्रावधान है।

11. सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है।

12. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि(बीआरजीएफ) की शुरूआत विकास के अवरोधों को दूर करने, विकास प्रक्रिया को त्वरित करने एवं लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रमों एवं नीतियों को उपयुक्त तरीके से लागू करने हेतु की गई है। स्कीम पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर लक्षित है जिससे कि

विकास में निहित असंतुलन कम करने एवं विकास की गति तीव्र करने में सहायता मिल सके। पिछड़े जिलों में सभी स्तरों पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत स्कीमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन में पंचायतों की केंद्रीय भूमिका होगी जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान अंतरालों को पाटा जा सकेगा।